

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/2015-16 एवं 2016-17/21

जयपुर, दिनांक:- 19 JAN 2026

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2018 (बैच-2021) में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों में से राजस्थान लेखा सेवा में दो वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त श्री भास्कर शर्मा को राजस्थान लेखा सेवा नियमों के नियम 35 के अंतर्गत उक्त सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला में परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इनके द्वारा हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति/सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 12.09.2024 से स्थाई किया जाता है।

आज्ञा से,

(पवन जैमन) 15.1.26

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, ह.च.मा. रीपा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
4. श्री भास्कर शर्मा, लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव